रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2000/श्रावण 27, 1922
No. 435] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2000/SRAVANA 27, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2000

सा. का. नि. 666 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 5 की उप-धारा (6क) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशकालिक सदस्यों के भत्ते) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''बैठक'' से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कारबार के संव्यवहार विनियम, 1999 की बैठकों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बुलाई गई बैठक अभिप्रेत है;

(घ) ''अंशकालिक सदस्य'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है।

3. बैठक भत्ता :— अंशकालिक सदस्य प्राधिकरण की एक बैठक में भाग लेने पर 2000 रुपए (दो हजार रुपए केवल) भत्ते के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा;

परन्तु किसी अंशकालिक सदस्य का ऐसा भत्ता प्रतिमास 26,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि जहां कोई सरकारी अधिकारी अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसे किसी भत्ते का संदेय नहीं किया जाएगा।

4. यात्रा भत्ता :—ऐसे अंशकालिक सदस्य की, जो सरकारी अधिकारी नहीं है, प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए 500/- रु० या उतने वास्तविक व्यय तक जो उसके द्वारा उपगत हों, इनमें जो कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी और प्रतिपूर्ति का दावा स्व: प्रमाणीकरण आधार पर किया जाएगा:

परन्तु कोई यात्रा भत्ता ऐसे सरकारी अधिकारी को देय नहीं होगा जो प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है;

परन्तु यह और कि जहां किसी अंशकालिक सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसके निवास के सामान्य स्थान से बाहर भेजा जाता है वहां वह उसी दर पर जो प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य को लागू होती है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वास सुविधा का हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अंशकालिक सदस्य द्वारा शासकीय विदेशी निरीक्षण उन्हीं उपबन्धों से शासित होंगे जो प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य को लागू होते हैं।

5. पद और गोपनीयता की शपथ :—अंशकालिक सदस्य पद धारण करने से पूर्व पद की शपथ और गोपनियता की शपथ लेगा । पद की शपथ और गोपनियता की शपथ नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में ली जाएगी।

6. अपशिष्ट विषय :—भत्तों के संबंध में अंशकालिक सदस्यों से संबंधित अपशिष्ट विषय जिसके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा , विनिश्चय के लिए, केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

7. शिथिल करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किसी उपबन्ध को शिथिल करने की शक्तियां होंगी।

[फा. सं. 10-7/2000—आर ई एस टी जी]

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

प्ररूप—1

(नियम 5 देखिए)

भारतीय दूरसंचार विनिमयामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ...जो अशंकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अशंकालिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्त:करण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से पालन करूंगा ।

(अंशकालिक सदस्य का नाम)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्ररूप-2

(नियम 5 देखिए)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं, ...जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और शपथ लेता हूं कि जो विषय उक्त भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि अंशकालिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

(अंशकालिक सदस्य का नाम)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2000

G. S. R. 666(E).— In exercise of powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (6A) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (No.24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called Telecom Regulatory Authority of India (Allowances to part-time members) Rules, 2000.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

   (b) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

   (c) "Meeting" means meeting convened by the Authority as per the TRAI Meetings for Transaction of Business Regulation 1999;

   (d) "part-time member" means a part-time member appointed under sub-section (3) of section 3 of the Act.

3. **Meeting allowance** - A part-time member shall be entitled to receive an allowance of Rs.2000/- (two thousand rupees only) for a meeting of the Authority attended by him.

   Provided that total of such allowance to a part-time member shall not exceed Rs.26,000/- per month:

   Provided further that where a Government officer is appointed as a part-time member, he shall not be paid any allowance.

4. **Conveyance allowance** - A part-time member, not being a Government officer, shall, for attending a meeting of the Authority be reimbursed an amount of Rs.500/- or the actual expenses incurred by him whichever is less, and the reimbursement shall be claimed on self certification basis:

Provided that no conveyance allowance shall be admissible to a Government officer appointed as a part-time member of the Authority:

Provided further that where a part-time member is called upon to go out of the ordinary place of his residence for discharging his duties as such member, he shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, and accommodation at the same rates as applicable to a whole-time member of the Authority:

Provided also that official visits abroad by such part-time member shall be governed by the same provisions as are applicable to a whole-time member of the Authority.

5. **Oath of office and secrecy** - A part-time member shall, before entering upon his office, subscribe to an oath of office and an oath of secrecy. The oath of office and the oath of secrecy shall be administered in the format annexed to the Rules.

6. **Residuary matters** - Residuary matters relating to part-time members, with respect to an allowance for which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for decision.

7. **Powers to relax** - The Central Government shall have powers to relax any provision of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. 10-7/2000-Restg.]

ANIL KUMAR, Jt. Secy.

FORM - I
(See rule 5)

Form of Oath of office for the part-time members of the Telecom Regulatory Authority of India

I,----------------------, having been appointed as the part-time member solemnly affirm and do swear in the name of God I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the part-time member, of the Telecom Regulatory Authority of India, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will.

(Name of the part-time member)
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

FORM – II
(See rule 5)

Form of Oath of Secrecy for the part-time members of the Telecom Regulatory Authority of India

I, ..., having been appointed as a part-time member of the Telecom Regulatory Authority of India, do solemnly affirm and swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a part-time member of the said Telecom Regulatory Authority of India except as may be required for the due discharge of my duties as a part-time member.

(Name of the part-time member)
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064